हुक्म

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 158/2020 अनवान टीकुराम बनाम लालाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17/12/20		

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। आज अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा पोलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 581/532 रकबा 11.11 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पोलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 581/532 रकबा 11.11 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आ[illegible] आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना [illegible] होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/ 2799 दिनांक – 22-12-20

प्रार्थी

1 टीकूराम पुत्र गंगाराम जाति प्रजापत निवासी पोलोणियों की ढाणी, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 लालाराम पुत्र लिछमणाराम 2 अचलाराम 3 चौथाराम पिसरान रूगनाथराम 4 मालाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट 5 बाबूगिर पुत्र शंकरगर 3 बबरीदेवी पत्नी शंकरगर 4 भैरगर पुत्र चौथगर जाति स्वामी निवासी पोलोणियों की ढाणी, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 158/2020 दिनांक–

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पोलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 581/532 रकबा 11.11 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2020/ 2801 - 2803 दिनांक– 22-12-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. टीकूराम पुत्र गंगाराम जाति प्रजापत निवासी पोलोणियों की ढाणी, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी लालाराम पुत्र लिछमणाराम वगैराह जाति जाट निवासी पोलोणियों की ढाणी, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested